

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1416/2011/हनुमानगढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गंगा राईस एण्ड जनरल मिल्स  
हनुमानगढ

प्रत्यर्थी

क्रास अपील आब्जेक्शन 2455/2011/हनुमानगढ

मैसर्स गंगा राईस एण्ड जनरल मिल्स  
हनुमानगढ

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

विभाग की ओर से

श्री एस.एम.पेडीवाल

अभिभाषक

व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.1.2014

निर्णय

उपरोक्त अपील संख्या 1416/2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) एवं क्रास आब्जेक्शन संख्या 2455/2011 प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 346/आरवेट/हनुमानगढ/09-10 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। उपरोक्त विवादित अपील एवं क्रास अपील में समान बिन्दु निहित हैं, इसलिए इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जाता है। निर्णय की प्रतियाँ चारों पत्रावलियों में पृथक-पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.2008 को फर्म के मैनेजर श्री सुभाष चन्द की उपस्थिति में किया गया। सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात व्यवसाय स्थल पर 960.94 क्विंटल धान एवं 448 क्विंटल चावल जिसकी कुल कीमत रु. 15,57,380/- का कर योग्य स्टॉक नियमित लेखा पुस्तकों से कम पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने 4 प्रतिशत की दर से कर रु. 62,295/- एवं कम पाये गये माल का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में नहीं होना मानकर देय कर की दुगुनी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,

2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,24,590/- आरोपित की। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2008-09 की अवधि में विनिर्मित उत्पाद छिलका (भूसी) कर मुक्त केलिए उपयोग में लिये गये धान रु. 1,68,33,000/- में से 19 प्रतिशत से प्राप्त 6825 क्विंटल छिलका की राशि रु. 57,19,350/- पर शत प्रतिशत आगत कर मुजरे का दावा किया गया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर अधिनियम की धारा 18 (1) के अन्तर्गत कुल वजन में से 20 प्रतिशत के हिसाब से 3817 क्विंटल धान राशि रु. 33,99,175/- आनुपायित रूप से प्रतिवर्ती कर रु. 1,27,967/-, धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,55,934/- एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 7,678/- आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने आरोपित कर रु. 1,27,967/-, धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,55,934/- एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 7,678/- तथा अधिनियम की धारा 61 (1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,24,590/- को अपास्त करते हुए अधिरोपित कर रु. 62,295/- को यथावत रख कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रु. 1,27,967/-, धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,55,934/- एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 7,678/- तथा अधिनियम की धारा 61 (1) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,24,590/- को अपास्त की राशियों के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपील प्रस्तुत की है तथा यथावत रखे गये कर रु. 62,295/- के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कास अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2010 विधि के विरुद्ध, अविधिक, भ्रामक एवं तथ्यों के विरुद्ध है। उनका कथन है कि अप्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के दौरान कर योग्य माल का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में कम पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व अधिनियम की धारा 61(1) के तहत शास्ति आरोपित की गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यात्मक बिन्दुओं पर विश्लेषण किये ही आरोपित कर को यथावत रखा गया है परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है क्योंकि उक्त शास्ति कर के अपवंचन के अपराध में अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित की गयी थी अतः जब अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा कर अपवंचन करना अवधारित कर, कर यथावत रखा गया है ऐसी स्थिति में शास्ति को अपास्त करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि उक्त

आरोपित कर व शास्ति आपस में अन्तर्वर्लित हैं । अतः अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित करने की प्रार्थना की गयी ।

जहां तक आगत कर का मुजरा अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61(2)(ख) के तहत आरोपित शास्ति की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु के संबंध में उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिनियम की धारा 18(1)(ई) व 18(1)(जी) के नीचे अंकित प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन्पुट टैक्स क्रेडिट, कर योग्य कच्चे माल के क्रय पर, कर मुक्त माल के विक्रय के अतिरिक्त, कर योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुये माल पर इससे उत्पादित कर योग्य माल के राज्य में व अन्तर्राज्यिक विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व पर ही देय है । कथन किया कि प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग कर, कर योग्य माल का विनिर्माण होता है उसी अनुपात में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के विधिक प्रावधानों के मददेनजर, उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रोद्धरित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1)(ई) व 18 (1)(जी) के नीचे अंकित विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल से विनिर्मित, कर मुक्त माल की बिक्री के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय होना अवधारित कर, "रिवर्स- टैक्स" की मांग राशि को विधिसम्मत होना अवधारित किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल के विक्रय मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61(1)(बी) के तहत शास्ति की मांग राशियां आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अग्रिम तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संचेतन मस्तिष्क से विधिक

प्रावधानों के विपरीत, गलत रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लिया गया है, अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विधिक प्रावधानानुसार अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने

एवं 61(2) के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों तथा अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज आरोपित किया गया था, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अन्ततः, उपर्युक्त वर्णित तर्कों के प्रकाश में, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर, कच्चा माल क्रय किया गया है तथा विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें भूसी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशेष सह-उत्पाद है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त क्रीत कच्चे माल के कुल क्रीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपास्त किया गया है। इस संबंध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के श्री गणेश कॉटन ट्रेडर्स बनाम् हरियाणा राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 125 एस.टी.सी. 313 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बॉम्बे बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 व महाराष्ट्र राज्य बनाम् पुलगांव कॉटन मिल्स लि0 के न्यायिक दृष्टान्त 85 एस.टी.सी. 220 को प्रोद्धरित कर, माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.8.2008 को सर्वेक्षण किया था जिसमें वक्त सर्वेक्षण एवं जांच पश्चात 960.94 क्विंटल धान एवं 448 क्विंटल चावल कीमतन रु. 15,57,380/—का स्टॉक कम मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर रु. 52,295/— एवं इस पर देय कर की दुगुनी शास्ति धारा 61 के अन्तर्गत रु. 1,24,590/—आरोपित की, जो नियम विरुद्ध है क्योंकि सक्षक अधिकारी ने व्यवहारी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन पूर्ण रूप से नहीं करके अनुमान के

आधार पर लिया है जिसमें अनुमान के आधार पर बोरी में भर्ती बताई गई है तथा उनका वजन नहीं किया गया है। स्टॉक लेते समय गवाह के हस्तक्षार तो स्टॉक र्द पर हैं परन्तु उनके पूर्ण नाम एवं पते नहीं लिखे गये हैं। इसके अलावा पेडी में जो नमी होती है, उसके बारे में सर्वेक्षण में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में किया गया सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन अपूर्ण होने से अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक होने से अपास्त योग्य है।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कर मुक्त माल का विक्रय किया गया है एवम् उक्त विक्रय के कर मुक्त होने के कारण, इस बिन्दु पर में क्लेम किये गये इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को देय नहीं है। जैसाकि अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(जी) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान भी अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:—.....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.” इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18 के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

"In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of

manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee."

21. "Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed."

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर, निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित किया गया है। इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के प्रोद्धरित न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित विधि से हस्तगत विवादित प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (32


टैक्स अपडेट 03) व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय अधिकारी द्वारा “रिवर्स-टैक्स” व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को अपास्त करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। लिहाजा, इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश अभिखण्डित कर, अपास्त किया जाता है तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कायम की गयी मांग राशियों में से “रिवर्स कर” व अनुवर्ती ब्याज की उपर्युक्त वर्णित मांग राशियों को पुनर्स्थापित (restore) किया जाता है। अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर, 62,295/- को यथावत रखे जाने का प्रश्न है, अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यात्मक एवम् राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 50 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बनायी गयी फर्द की जांच एवम् विश्लेषण कर, आरोपित कर को यथावत रखा गया है परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है क्योंकि उक्त शास्ति कर के अपवंचन के अपराध में अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गयी थी, अतः जब अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा कर अपवंचन करना अवधारित कर, कर यथावत रखा गया है ऐसी स्थिति में शास्ति को अपास्त करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। उक्त आरोपित कर व शास्ति आपस में अन्तर्वर्तित हैं। अतः अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित किया जाता है।

परिणामतः, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत काँस आब्जेक्शन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।  
20.1.2014  
( मदनलाल )

सदस्य

  
( सुनील शर्मा )

सदस्य